



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939

No. 739]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1117(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा 9 एवं 14 तथा धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के लिए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा js-tpt@gov.in पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को और 6 महीने पश्चात प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियम 128 में, प्रथम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“और बशर्ते कि इस नियम के उपबंध पर्यटक बसों के लिए लागू नहीं होंगे जो यथा-अनुप्रयोज्य एआइएस:52, एआइएस:119 या एआइएस:139 के उपबंधों का अनुपालन करती हों।

[सं. आरटी-11028/06/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ), दिनांकित द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

G.S.R. 1117(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section 9 and 14 of section 88 and section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public;

2. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001 or email : js-tpt@gov.in ;

3. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (----Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on and after six months from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the said rule 128, after first proviso following proviso shall be inserted namely-

“Provided further that provisions of this rule shall not apply to tourist buses which comply with the provisions of AIS:52, AIS:119 or AIS:139 as applicable.”

[No. RT-11028/06/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. _____(E) dated _____.